उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-45/2016/सा0-775/38-2-2016-32बी/2013,
लखनऊ: दिनांक: 20दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478-70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल जिला-**कुशीनगर** में एक नया विकास खण्ड "**कुबेरनाथ**" सृजित करते हैं और इस अधिसूचना के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विकास खण्ड-पडरौना, दुदही, एवं तमकुही के ग्रामीण क्षेत्रों को उपान्तरित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित न्याय पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	खण्ड का नाम	न्याय पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा
1	2	3
कुशीनगर	पडरौना	सेमराहर्दो, जंगल बेलवा, जंगल बकुलहा, सहुआडीह, देवरिया पाण्डेय, बलोचहॉ, गुलेलहां, धर्मपुर बुजुर्ग, साखोपार, हरैया बुजुर्ग की ग्राम पंचायत-गांगरानी, पकड़ी खुर्द, रसूलपुर बेलही, टड़वां, पलिया मिल्की, परसादपुर एवं सिधुआ बांगर भाठ की ग्राम पंचायत- सिधुआ बांगर भाठ, दमवतिया, चौपरिया, रहसूँ खुदरा, साड़ी बुजुर्ग, सांड़ी खुर्द, मठिया नरईपुर
	दुदही	गोड़रिया, धर्मपुर पर्वत, बांसगांव, अमवा दीगर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		दुदही की ग्राम पंचायत- दुदही, पड़रौना मडुरही, मिश्रौली, अमही, शाहपुर खलवापट्टी, शाहपुर ऊच्चकी पट्टी, लोहरपट्टी, विशुनपुर वरियापट्टी, पृथ्वीपुर, कतौरा, गौरी श्रीराम एवं चाफ की ग्राम पंचायत- चाफ, कोकिल पट्टी, तिलक पट्टी, बड़हरा बुजुर्ग, बैकुण्ठपुर, अहिरौली, बतरौली धूरखड़वा, जंगल लाल छपरा,
	तमकुही	सरया बुजुर्ग, सेमरा हर्दोपट्टी, रवटिया, कोटवां टीकमपार, जोगिया, महुअवा देवरिया, माधोपुर बुजुर्ग, तमकुही, बरवा राजापाकड, महुअवा बुजुर्ग की ग्राम पंचायत-सोन्दिया बुजुर्ग, देवपोखर
	कुबेरनाथ	बसडीला पाण्डेय, कोरया, महुअवा बुजुर्ग, सखवनिया बुजुर्ग, पिपरासी, कोहरवलिया, पिपरा जटामपुर, दुदही की ग्राम पंचायत-सोरहवां, चाफ की ग्राम पंचायत-जंगल विशुनपुरा, हरैया बुजुर्ग की ग्राम पंचायत-हरैया बुजुर्ग, बरहज, होरलापुर, सिधुआ बांगर भाठ की ग्राम पंचायत-बैजनाथपुर एवं कोहड़ा

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-45/2016/सा0-775**/38-2-2016-32बी/2013, तद्दिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उप विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विधायी अनुभाग-1
9- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
12- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
13- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
14- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2016/सा0-775**/38-2-2016-32बी/2013, तद्दिनांक :-**

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In the pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-45/2016/sa-775/38-2-2016-32B/2013, Dated: December 20 , 2016.

NOTIFICATION

No.-45/2016/sa-775 / 38-2-2016-32B/2013.
Lucknow: Dated:December 20 , 2016

In excercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961) and in partial modification of notification no. 5445/XXXVIII-3-478-70, dated September 18, 1972 as amended from time to time, the Governor is pleased to create a new Vikas Khand Kubernath in district Kushinagar and to modify the rural areas of Vikas Khand Padarauna, Dudahi and Tamkuhi as specified in coloumn 2 of the Schedule below with effect from the date of this notification and to direct that the Khands mentioned in the said column 2 shall consist of the areas comprise the Nyaya Panchayat circles mentioned against each khand in column 3 of the Schedule below :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Nyaya Panchayat circle which shall constitute the area of the Khand
1	2	3
Kushinagar	Padarauna	Semarahardo, Jungle Belawa, Jungle Bakulaha, Sahudih, DEoria Pandey, Balochahan, Gulelahan, Dharmpur Bujurg, Sakhopar, Gangrani, Pakadi Khurd, Rasoolpur Belahi, Tadawa,Paliya Milki Parsadpur and Sidhua of village panchayat Haraya Bujurg, Sidhua village panchayats of Bangar Bhath, Damawatiya, Chaupariya, Rahasu Khudara, Sandi Bujurg, Sandi Khurd, Mathiya Naraipur.
	Dudahi	Godaria, Dharmpur Parvat, Bansgaon, Amwa Deegar, Village panchayats of Dudahi Dudahi, Padarauna Madurahi, Mishrauli, Amahi, Shahpur Khalawapatti, Shahpur Uchchaki Patti, Loharpatti, Vishunpur Variapatti, Prithvipur, Kataura, Gauri Shriram and Chaaf ki gram panchayat -Chaaf, Kokil Patti, Tilak Patti, Barahara Bujurg, Baikunthpur, Ahirauli, Batrauli, Dhurkharwa, Jungle Lal Chhapra.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Tamkuhi	SAraya Bujurg, Semara Hardopatti, Rawatiya, Kotwan Tikampar, Jogiya, Mahuawa Deoria, Madhopur Bujurg, Tamkuhi, Barawa Rajapakad, village panchayats of Mahuawa Bujurg- Sondia Bujurg, Deopokhar.
	Kubernath	Basdila Pandey, Karaya, Mahuawa Bujurg, Sakhwania Bujurg, Piprasi, Koharwalia, Pipra Jatampur, village panchayat of Dudahi-Sorahawan, village panchayat of Chaaf- Jungle vishunpura, village panchayat of Haraiya Bujurg- Haraiya Bujurg, Barahaj, Horalapur, village panchayat of Sidhua Bangar Bhath-Baijnathpur and Kohada.

By Order,

Deepak Trivedi
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।